



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८८९०  
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१  
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सल

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, २२ दिसम्बर, २००१

पौष १, १९२३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

संख्या क०नि०-५-७८१२/११-२००१-३१२ (४३)-९१ टी०सी०

लखनऊ, २२ दिसम्बर, २००१

### अधिसूचना

प०आ० ७७४

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (अधिनियम संख्या १६ सन् १९०८) की धारा ५ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके जिला खीरी के उप-जिला निघासन और गोला की सीमाओं का परिवर्तन करके जिला खीरी में एक नया उप-जिला पलिया का सृजन करते हैं और उप- जिला निघासिन, पलिया और गोला की निम्न अनुसूची के स्तम्भ ३ में प्रत्येक के सामने यथादर्शित सीमाएं विहित करते हैं ।

2-उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रेतर उप-जिला पलिया में सब रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करते हैं ।

3- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रस्तुत होगी ।

#### अनुसूची

क्रम सं०	उपजिले का नाम	उप जिले की सीमाएं
1	2	3
1	पलिया	पलिया की राजस्व तहसील
2	निघासन	निघासन की राजस्व तहसील
3	गोला	गोला की राजस्व तहसील

आज्ञा से  
टी०जार्ज जोसेफ  
प्रमुख सचिव ।